20-5-22

प्रतिवादी अभियाचक उपस्थित
अभिलाषे व वेतनादि की याचिका
की तरफ से पूर्व में साक्ष्य
मौखिक व तत्पश्चात लिखित नोटिस
शाखे मिले जाने के बावजूद भी
वे उपस्थित नहीं अतः अभिलेख
अभिलाषे की अनुपस्थिति में
अतः इसके में स्वाभिक्षमता
प्रतीत ही पत्रावली निकाल न्यायालय
होने बाद तामील व तामील दायिक
प्रस्तुत है